

**रक्षा मंत्रालय**  
**संयुक्त सचिव (प्रशि) एवं मु प्र अ कार्यालय**

**विषय - हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण**

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रतिवर्ष फरवरी एवं अगस्त माह में हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण प्रशिक्षण का सत्र प्रारंभ करता है। इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी नीचा दी जा रही है:-

(क) हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है तथा कक्षाएं प्रत्येक कार्य दिवस पर एक-एक घंटा की होती हैं। सभी गृह का आशुलिपिकों/निजी सहायकों/निजी सचिवों का लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्थान उपलब्ध होने पर हिंदी टंकण में प्रशिक्षित अवर श्रेणी लिपिकों को भी, विहित शर्तें पूरी होने पर आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवृत्त किया जा सकता है।

(ख) हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन प्रशिक्षण की अवधि 6 माह है तथा कक्षाएं प्रत्येक कार्य दिवस पर एक-एक घंटा की होती हैं। सभी अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टंकण विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटाएंट्री ऑपरेटरों आदि का लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसका अलावा इसमें ग्रुप "ग" का वृत्तकर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी तरह/इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनका भिन्न पदनाम और भिन्न वृत्तनमान हैं। स्थान उपलब्ध होने पर प्रवर श्रेणी लिपिकों (यू० डी० सी०), सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों को भी प्रवृत्त किया जाता है। छठे वृत्तन आयोग की रिपोर्ट का अध्याय 2.2.9 का अनुसार वर्ग "घ" कार्मिकों को वर्ग "ग" वृत्तन वर्ग में शामिल कर लिया गया है। चूंकि महामहिम राष्ट्रपति का अप्रैल 1960 का आदेशानुसार वर्ग "ग" कार्मिकों का लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है, अतः राजभाषा विभाग का ज्ञान संख्या 14034/30/2009-राभा(प्रशि) दिनांक 06 जनवरी 2010 का अनुसार वर्ग "घ" सवर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों का लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी का लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं, को उनकी पत्रतानुसार हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ग) हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन एवं आशुलिपि परीक्षा पास करने पर गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञान संख्या 12014/2/76-राभा(डी) दिनांक 02 सितंबर 1976 तथा कार्यालय ज्ञान संख्या 18/3/94-हि. शि. यो. (मुख्या) दिनांक 14

फरवरी 1995 का अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने पर क्रमशः वैयक्तिक वस्त्रन और नकद पुरस्कार (प्रोफार्मा एवं पुरस्कार सूची संलग्न) का रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

(घ) प्रशिक्षण कक्षा में जाना के लिए कार्यालय ज्ञान संख्या 12/21/61-एच बी दिनांक 26 जून 1962 का अनुसार 1.6 कि. मी. से अधिक दूरी से आने-जाना का वास्तविक मार्ग-व्यय दक्ष है।

(ङ) प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी से निदेशक (टंकण/आशुलिपि) टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), ईस्ट ब्लॉक-7, लघल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66 (दूरभाष-26176055 अथवा 26173775) से अथवा ई-मेल आई डी [ddts-hts-nc-dol@nic.in](mailto:ddts-hts-nc-dol@nic.in) से मेल द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

**रक्षा मंत्रालय**  
**संयुक्त सचिव (प्रशि) एवं मु प्र अ कार्यालय**

**विषय - हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षाओं का गठन एवं संचालन**

हिंदी शिक्षण योजनाअंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षाओं का प्रशिक्षण सत्र जुलाई - नवंबर का बीच चलाया जाता है।

**प्रशिक्षण का लिए योग्यता एवं पात्रता**

(क) **प्रबोध** यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तन्नगु और अंग्रजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकत हैं। व सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण का पात्र है।

(ख) **प्रवीण** यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी नपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उडिया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है सीधंप्रवक्षा लसकत हैं।

(ग) **प्राज्ञ** यह अंतिम पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंग उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी व पश्तो भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी को भी प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

**विशेष:-** वर्ग “घ” सवर्ग “ग” में आए कर्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दत्त का संबंध में।

राजभाषा विभाग का ज्ञान संख्या 14034/30/2009-राभा(प्रशि) दिनांक 06 जनवरी 2010का अनुसार छठवत्तन आयोग की सिफारिशों का अनुसार वर्ग “घ” कर्मिकों को वर्ग “ग” में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति का अप्रैल 1967 का आदशानुसार वर्ग “ग” कर्मिकों का लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है। अतः वर्ग “घ” सवर्ग “ग” में आए उन कर्मिकों का लिए जो वर्ग “ग” का लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखत हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2. **पठ्यक्रम की अवधि** प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के पठ्यक्रमों की अवधि 5-5 महीनों की है। प्रबोध तथा प्रवीण की कक्षाएं एकांतर दिवस पर 2-2 घंटों की तथा प्राज्ञ की कक्षाएं एकांतर दिवस पर 1-1 घंटों की होती हैं। कक्षाओं में प्रवक्षा लक्ष्यवाली सभी प्रशिक्षार्थियों को पठ्यपुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

## अनुलग्नक

हिंदी शिक्षण योजना का अधीन प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/हिंदी टाइपिंग, हिंदी आशुलिपिक अथवा गहन हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का बाद ली जानने वाली परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वसतन पानेका लिए विचारार्थ प्रश्न।

1.	पूरा नाम	
2.	पद	
3.	(क) राजपत्रित या अराजपत्रित	
	(ख) श्रेणी	
	(ग) क्या आकाको प्रचालन कर्मचारी घोषित किया गया है?	
4.	(क) कार्यालय का पूरा पता	
	(ख) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम	
5.	(क) क्या आका - (1) भारत सरकार का (2) संघ शासित क्षेत्र का (3) भारत सरकार का नियंत्रणाधीन किसी निकाय आदि का कर्मचारी हैं?	
	(ख) क्या आका का कार्यालय औद्योगिक संस्थान घोषित किया गया है?	
	(ग) क्या आका कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं?	
6.	संबंधित महालक्ष्मणाल/लक्ष्मण अधिकारी जिनकी लक्ष्मण पुस्तकों में वसतन समकृत किया जाता है।	
7.	जन्म की तारीख	
8.	मातृभाषा	
9.	(क) निर्धारित पाठ्यक्रम जहां तक आकाको पढ़ना आवश्यक है।	
	(ख) क्या आकाके लिए हिंदी टाइपिंग अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है?	
10.	(क) उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम जिसका	

	लिए यह आवदन दिया गया है।	
	(ख) परीक्षा का वर्ष और महीना	
	(ग) परीक्षा में आका अनुक्रमांक	
	(घ) परीक्षा फल घोषित होनेकी तारीख	
	(च) प्राप्त अंक	
	(छ) प्राप्त अंक का प्रतिशत	
11.	(क) उर्युक्त परीक्षा कैसकास की:- (1) निजी अध्ययन स (2) हिंदी शिक्षण योजना का अधीन कक्षा में ढकर	
12.	उर्युक्त परीक्षा में क्या आ कभी हलभी बैठ था यदि हाँ तो कब-कब और क्या परिणाम था।	
13.	इस परीक्षा का अतिरिक्त क्या आ हिंदी शिक्षण योजना की कोई अन्य परीक्षा कास कर चुका हैं, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें।	
14.	(1) क्या आन किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय /गैर सरकारी निकाय आदि द्वारा संचालित मैट्रिक, इसका समकक्ष या उससेउच्च परीक्षा (किसी भी रूप में) हिंदी विषय लकर या उच्च माध्यमिक परीक्षा का भाग का रूप में (जैसकक्षा 9 या 10 में) हिंदी विषय लकर कास की है, यदि हां तो इसका ब्यौरा दें और संबंधित परीक्षा में हिंदी विषय का प्रासांको का प्रतिशत बतायें। (2) क्या उरुक्त (किसी भी) परीक्षा का माध्यम हिंदी था? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें। (3) क्या आन हिंदी विषय का साथ प्राइमरी अथवा मिडिल परीक्षा कास की है? (4) क्या आन सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी भी संस्था की कोई हिंदी परीक्षा कास की है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा	

	दें।	
15.	<p>(क) क्या आ०न०क०द्रीय सरकार की सघा में आन०स००हल०यह बयान दिया था कि</p> <p>(1) आ० हिंदी टाइपिंग जानत० हैं अर्थात हिंदी टाइपिंग में आ०की गति 25 शब्द प्रति मिनट या इसस०अधिक थी?</p> <p>(2) आ० हिंदी की आशुलिपि जानत० हैं अर्थात हिंदी आशुलिपि में आ०की गति 80 शब्द प्रति मिनट या इसस०अधिक थी?</p>	
	<p>(ख) क्या आ०न००हल०स०ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था स० हिंदी टाइपिंग या हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण लिया है और कोई ०रीक्षा ०स की है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें।</p>	

### घोषणा

मशी जानकारी और विश्वास क साथ दिया गया ब्यौरा सही है। यदि उ०र्युक्त ब्यौरा गलत ाया जाए तो मैं वैयक्तिक वसन्न प्राप्त करन००र उस०लौटा दस०का वचन दस० हूँ। मुझ०यह भी मालूम है कि तथ्यों का गलत विवरण दस०र वैयक्तिक वसन्न प्राप्त करन०का प्रयत्न करन०क लिए मस०विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

## हिंदी टंकण/आशुलिपि एवं हिंदी भाषा प्रशिक्षण पूरा करने पर नकद पुरस्कार

### 1. प्रबोध

(क)	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	800/- रु
(ख)	60% या इससे अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	400/- रु
(ग)	55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	200/- रु

### 2. प्रवीण एवं प्राज्ञ

(क)	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1200/- रु
(ख)	60% या इससे अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- रु
(ग)	55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	400/- रु

### 3. हिंदी टंकण

(क)	97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1200/- रु
(ख)	95% या इससे अधिक परंतु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- रु
(ग)	90% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	400/- रु

### 4. हिंदी आशुलिपि

(क)	95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1200/- रु
(ख)	92% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- रु
(ग)	88% या इससे अधिक परंतु 92% से कम अंक प्राप्त करने पर	400/- रु



